M. P. Electricity Regulatory Commission

5th Floor, Metro Plaza, E - 5, Arera Colony,
Bittan Market, BHOPAL - 462016.
Phone: (0755) 2464643, 2430154 FAX No. 0755 - 2981055
Website: www.mperc.in, e-mail:– secretary@mperc.nic.in

No. MPERC/D(T)/2022 /1114

Dated: 20/05/2022

PUBLIC NOTICE

State Load Despatch Centre (SLDC) MPPTCL Jabalpur has filed a petition for levy and collection of fee and charges by SLDC for FY 2022-23 under section 32(3) of the Electricity Act 2003 read with MPERC (Levy & Collection of fee & charges by SLDC) Regulations (Revision - I), 2006 and its amendments. The same has been registered as **Petition No. 11/2022**. The total revenue requirement claimed by SLDC for FY 2022-23 is as under:

S.No.	Particulars	Amount (Rs. Lakh)
01	Employee Cost	1349.55
02	Administration and General Expenses	238.26
03	Repairs and Maintenance Expenses	231.29
04	Depreciation	0.00
05	Interest and finance charges	0.00
06	Return on equity / Investments	0.00
07	Provision for Income Tax	0.00
Total (Sr. No. 01 to 07)		1819.10
08	Less: Revenue from other Charges (i.e. Scheduling & Operation charges (50%), Connectivity charges & Application Processing Fee)	438.00
09	Less: Other Misc. Income	5.00
	Total Revenue Requirement for FY 2022-23	1376.10

The allocation of SLDC charges to the individual licensees and open access customers having the long-term agreements (i.e. DISCOMSs, SEZ Indore & WCR, Jabalpur) shall be in proportion of their share allocation to the total transmission capacity. The application for determination of true-up of SLDC expenses for FY 2020-21 has also been filed in the petition.

Copy of the petition is available on Commission's website **www.mperc.in.** Persons intending to file objections/ comments/ suggestions in this regard may send their objections/ comments/ suggestions with copies of documents and evidence in support thereof directly to the **Secretary, Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, 5th Floor, Metro Plaza, E-5, Arera Colony, Bittan Market, Bhopal - 462016** with a copy for the Petitioner addressed to the **Chief Engineer, SLDC, MPPTCL, Nayagaon, Rampur, Jabalpur - 482008** so as to reach the Commission's Office within 21 days of publication of this notice. Advance copies of objections/ comments / suggestions could also be sent by FAX (at No. 0755 - 2981055) and E-mail (at e-mail address **secretary@mperc.nic.in)** to the Commission. **No affidavit is required.**

The copy of petition may also be obtained by any interested person on any working day between 11.00 AM to 4.00 PM from the Commission's office or from SLDC, Jabalpur on payment of **Rs. 200/-** in cash or demand draft drawn on any scheduled bank in favour of MPERC, payable at Bhopal or in favour of **RAO MPPTCL COLLECTION ACCOUNT SLDC** payable at Jabalpur, as the case may be. The copy of petition may also be obtained by post on additional payment of **Rs. 50/-** towards postage expenses.

The public hearing in the matter will be held on **14/06/2022 at 11:00 A.M.** The persons who have filed their representation in writing with the Commission may intimate their mobile number & E-Mail ID to participate in the public hearing as per the relevant guidelines available on the Commission's website.

By the order of the Commission
Secretary

म. प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचमतल, मेट्रोप्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी,
बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन– 0755–2464643, 2430154 फैक्स– 2981055
ईमेल **secretary@mperc.nic.in** वेबसाइट **www.mperc.in**

No.MPERC/D(T)/2022/1114

Dated: 20/05/2022

सार्वजनिक सूचना

राज्य भार प्रेषण केन्द्र (रा.भ.प्रे.के.) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 32(3) सह पठित मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2006 तथा इसके संशोधन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है। इसको आयोग ने याचिका क्रमांक 11/2022 में पंजीकृत किया गया है। राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता की मांग का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	राशि (रू.लाख में)
01	कर्मचारी व्यय	1349.55
02	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	238.26
03	मरम्मत एवं अनुदान व्यय	231.29
04	अवमूल्यन/अवक्षयण	0.00
05	ब्याज एवं वित्तीय खर्च	0.00
06	अंश पूंजी/निवेश पर प्रतिलाभ	0.00
07	आयकर हेतु प्रावधान	0.00
	कुल (क्र. 1 से 7)	**1819.10**
08	घटायेः अन्य प्रभारों से आय (50%) प्रचालन एवं अनुसूची करण प्रभार, आवेदन शुल्क एवं संयोजन शुल्क)	438.00
09	घटायेः विविध आय	5.00
	कुल राजस्व आवष्यकता वर्ष 2022–23 हेतु	**1376.10**

राज्य भार प्रेषण केंद्र प्रभारों का आवंटन दीर्घ अवधि अनुबंध करने वाले वैयक्तिक अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच क्रेताओं (वितरण कंपनियाँ, एस.ई.जेड., इंदौर एव डब्ल्यू.सी.आर., जबलपुर) हेतु आयोग द्वारा अवधारित कुल पारेषण क्षमता के अंशदान आवंटन के अनुपात में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2020–21 के खर्चो का सत्यापन भी याचिका में प्रस्तुत किया गया है।

याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट **www.mperc.in** पर उपलब्ध है। इस संबंध में आपत्ति या विचार या टीप प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्तियों, टिप्पणियों या सुझावों को इसके समर्थन से संबंधित दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की प्रतियों के साथ सीधे सचिव म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, पंचमतल, ई–5, अरेरा कालोनी, मेट्रोप्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को प्रेषित करते हुए याचिका–कर्ता के लिए इसकी एक प्रति मुख्य अभियंता, राज्य भार प्रेषण केंद्र, म.प्र.पा.ट्रां. कं.लि., जबलपुर 482008 को प्रेषित करेंगे, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के अन्दर आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की अग्रिम प्रतियाँ फेक्स (0755–2981055) एव ईमेल (**secretary@mperc.nic.in**) द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती है। इस संबंध में शपथ–पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

इच्छुक व्यक्ति, याचिका की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजें से सायंकालीन 4.00 बजे तक के मध्य आयोग के कार्यालय भोपाल अथवा राज्य भार प्रेषण केंद्र कार्यालय, जबलपुर से रूपये 200/– की राशि का नगद भुगतान कर अथवा अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट जो कि जैसी स्थिति में हो, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भोपाल में देय हो या **RAO MPPTCL COLLECTION ACCOUNT SLDC** को जबलपुर में देय हो, से भी प्राप्त की जा सकती है। डाक व्यय रूपये 50/–का अतिरिक्त भुगतान कर याचिका की प्रति डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

इस प्रकरण में जन–सुनवाई का आयोजन दिनांक **14.06.2022** को प्रातः **11:00 बजे** किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित विचार, टीप, आपत्तियाँ या सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आयोग को भेज कर उक्त जन–सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईडलाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव